हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/22 पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 29/8/22 को पेश हो।	
29/08/22 पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः हस्ब उनवान प्रकरण वादीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसिल मुरत्तब होकर दाखिल दफ्तर हो।	
(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर SDO [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:04 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान सहायक कलक्टर एवं (एस डी ओ) महोदय,

गुडामालानी ।

वादीगण :–

1. पाबु पुत्र हका उम्र 58 वर्ष
2. मिसरा पुत्र हका उम्र 55 वर्ष
3. मूली W/o रूपाराम उम्र 80 वर्ष

कौम भील साकिन पुंजाबेरी तहसील गुडामालानी

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. लालाराम पुत्र श्री भोमाराम उम्र 70 वर्ष
2. पुनमाराम पुत्र श्री भोमाराम उम्र 65 वर्ष
3. दलाराम पुत्र श्री भोमाराम उम्र 55वर्ष
   जाति जाट निवासी पुंजाबेरी तहसील गुडामालानी ।
4. मैनेजर बी सी सी बी बैक शाखा गुडामालानी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:04 IST
Reason: SelfAttested

महोदयजी,

वादी का वाद पत्र निम्न प्रकार से है कि :–

निशानी
पाबू

1. कि सरहद मौजा पुजाबेरी पटवारी क्षेत्र पीपराली तहसील गुडामालानी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 39–01 बीघा व खसरा नम्बर 33/2 रकबा 29–00 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है जिसकी वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकले वाद पत्र के साथ सलग्न पैश है ।
2. कि हम वादीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या नम्बर 33 रकबा 39–01 बीघा व खसरा नम्बर 33/2 रकबा 29–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण नाजायज कब्जा कर मौके पर वर्तमान मे पक्की ढाणी बनाने तथा मुझे मेरी पीढियो पुरानी पुश्तेनी भूमि से बेदखल करने हेतु प्रतिवदीगण आमदा है तथा मेरे हक की भूमि पर प्रतिवादीगण नाजायज कब्जा करने पर उतारू है जिस हेतु यह वाद स्थाही निषेधाज्ञा श्रीमान के समक्ष पैश है ।
3. कि उक्त विवाद ग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर के कब्जा करने पर उतारू है । जो की उक्त प्रतिवादीगण को जब कब्जा नही करने को कहा तो उन्होने कब्जे करने वाले भू भाग को अपना खातेदारी का होने बताये हुये मेरे कब्जा काश्त की [redacted] भूमि पर पक्की ढाणी बनाने की धमकी दी इसलिऐ वाद अतिक्रमी बेदखली का पैश है ।
4. कि प्रतिवादीगण उच्ची राजनैतिक पहुच वाले व्यक्ति होने से वादीगण कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की नियत से वादीगण को हमेशा परेशान करता रहता है तथा वर्तमान मे प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि सेढा तोडकर हडपना चाहता है तथा मेरी भूमि हडप कर मौके पर पक्की ढाणी बनाकर कब्जा पुख्ता करना चाहता है इसलिऐ प्रतिवादी गण को जरिये स्थाही निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वह मौके पर मेरे कब्जे काश्त व मेरी खातेदारी भूमि खसरा संख्या नम्बर 33 रकबा 39–01 बीघा व खसरा नम्बर 33/2 रकबा 29–00 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि पर मुझे बेदखल न करे तथा न ही [illegible]मण अतिचार आदि नही करे तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] किया जावे । कि वादग्रस्त खेत वादी के खा[illegible]सी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे न ही अन्य से करवाये व मौका व रेकर्ड [illegible] यथा स्थिति बनाये रखे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:04 IST
Reason: SelfAttested

5. कि बिनायदावा मौजा पुंजाबेरी पटवार मण्डल पीपराली एक खेत खसरा संख्या नम्बर 33 रकबा 39–01 बीघा व खसरा नम्बर 33/2 रकबा 29–00 बीघा